

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6372/2024

नरेश सिंघल पुत्र श्री सुरेश सिंघल, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी 342/28, नज़दीक अशीरवाद पार्टी लॉन पार्क, गुडगांव एचआर 122001। (ट्रक के मालिक, जिसका नंबर है एच आर 55 ए एल 1044)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, परिवहन विभाग राजस्थान, सचिवालय जयपुर, सचिव के माध्यम से।
2. खनन एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर, संयुक्त सचिव के माध्यम से।
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर जिला, राजस्थान।

-----प्रतिवादी

संलग्न

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6527/2024

मुनाफ़द खान पुत्र इलियास

-----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य

-----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6847/2024

सरदारा राम पुत्र श्री दीना राम एवं अन्य

-----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6716/2024

महादेव इंट उद्योग एवं अन्य

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6857/2024

मुनफेद पुत्र गप्फार

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6681/2024

बलबीर सिंह पुत्र श्री चंद्रभान एवं अन्य

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6642/2024

रघुवंशी ट्रेडर्स एवं अन्य

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6629/2024

रामनिवास जांगड़ा पुत्र अमर सिंह

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6523/2024

सुनील पुत्र महेश

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6628/2024

मोहनलाल पुत्र हनुमान दास स्वामी एवं अन्य

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6624/2024

एम/एस. खुशबू मिनरल्स एंड माइन्स

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6617/2024

एम/एस. खुशबू मिनरल्स एंड माइन्स

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16997/2023

बीरमा राम पुत्र भार मल

-----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

-----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6294/2024

हंसवहिनी ट्रेडर्स

-----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

-----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5834/2024

सत्य पाल पुत्र ओम प्रकाश एवं अन्य

-----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

-----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6545/2024

सीबीआर कंस्ट्रक्शन

-----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

-----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6546/2024

सत्य नारायण गुर्जर पुत्र शरवन लाल गुर्जर एवं अन्य

-----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

-----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6538/2024

पप्पू सिंह एवं अन्य

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6544/2024

शरवान सिंह एवं अन्य

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए

:

श्री कान सिंह राठौड़
श्री हनुमंत सिंह
श्री अंजनी कुमार शर्मा
श्री राज कुमार गोयल
श्री मती रजनी व्यास
श्री इल्यास खान
श्री राज कुमार सैनी
श्री आतिश जैन
श्री राम अवतार परीक
श्री मृत्युंजय शर्मा
श्री सुरजीत सिंह
श्री हर्षद कपूर
श्री सुनील कुमार बनसल
श्री शिवात्मा कुमार टांक
श्री हेमंत सिंह शेखावत
श्री सचिन कुमार मित्तल

प्रतिवादी(यों) के लिए : श्री एस.एस. नरुका-एएजी
साथ में श्री एस.एस. निरवान

माननीय श्री जस्टिस अनुप कुमार ढंड

आदेश

02/05/2024

रिपोर्टबल

यह न्याय बिकने वाली वस्तु नहीं है। सभी पीड़ित व्यक्तियों को राज्य प्राधिकरणों द्वारा यह मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएँ और ऐसे ही आदेश प्राप्त करें जो पहले न्यायालय के समक्ष पहुँचे समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के पक्ष में दिए जा चुके हैं।

जब न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय एक 'जजमेंट-इन-रेम' होता है, तो इसका उद्देश्य सभी समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ देना होता है — चाहे उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया हो या नहीं। ऐसे में अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि वे स्वयं उन सभी समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को इसका लाभ दें। इसी पृष्ठभूमि में इस याचिका में उठाए गए मुद्दे का निर्णय आवश्यक है।

1. चूंकि इन मामलों में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न जुड़े हुए हैं, अतः पक्षकारों के वकीलों की सहमति से, इन सभी मामलों को एक साथ अंतिम निपटारे के लिए लिया गया है और यह सामान्य आदेश द्वारा तय किए जा रहे हैं।

2. सुविधा के लिए, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6372/2024 को मुख्य मामला माना गया है।

3. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

“अतः अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि आपकी न्यायमूर्ति कृपया इस रिट याचिका को स्वीकार करने की कृपा करें तथा:

(i) उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि याचिकाकर्ता के वाहन को काली सूची (ब्लैकलिस्टिंग) से हटाया जाए तथा वाहन को एनटीबीटी के रूप में झंडायुक्त (फ्लैग्ड) करना समाप्त किया जाए।

(ii) उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, प्रतिवादियों द्वारा आरोपित ओवरलोडिंग के आधार पर लगाई गई दंड राशि को निरस्त किया जाए।

(iii) या कोई अन्य उचित राहत याचिकाकर्ता को प्रदान करने की कृपा की जाए, जैसा कि इस माननीय न्यायालय को मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो।

(iv) वाद-व्यय (लिटिगेशन की लागत) याचिकाकर्ता को प्रदान करने की कृपा की जाए।”

4. इन याचिकाओं को दायर करने के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों की उस कार्रवाई को चुनौती दी है जिसके द्वारा उनके वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और उन्हें एनटीबीटी के रूप में चिह्नित किए जाने की कार्रवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं ने ओवरलोडिंग के आरोप पर उन पर लगाए गए दंड की कार्रवाई को भी चुनौती दी है।

5. प्रारंभ में ही, पक्षकारों के अधिवक्ता इस बात पर सहमत हैं कि इन याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा पहले ही इस न्यायालय के समन्वित पीठ द्वारा “जाबिर खान बनाम राज्य राजस्थान एवं अन्य” (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1964/2022), दिनांक 14.03.2022 के निर्णय द्वारा तय हो चुका है। पक्षकारों के अधिवक्ता इस बात पर सहमत हैं कि वर्तमान याचिकाओं का भी निस्तारण “जाबिर खान”(उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्देशों के आलोक में किया जाए।

6. “जाबिर खान” (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की समन्वित पीठ द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ एक सहमति आदेश पारित किया गया, जो इस प्रकार हैं:

“याचिकाओं में दी गई चुनौती प्रतिवादियों की उस कार्रवाई को लेकर है जिसमें याचिकाकर्ताओं के ट्रक/परिवहन/लोडिंग वाहन, जो विभिन्न पंजीयन प्राधिकरणों में पंजीकृत हैं, को “ब्लैकलिस्टेड” श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया है “वाहन पोर्टल” पर, केवल खनिज विभाग द्वारा जारी ई-रवन्ना के आधार पर ओवरलोडिंग के आरोप में।

संयुक्त आग्रह एवं संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति पर, इन रिट याचिकाओं का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाता है:

(i) प्रतिवादी उन याचिकाकर्ताओं/वाहन मालिकों के विरुद्ध अभियोजन शुरू करेंगे, जो प्रतिवादियों द्वारा संचालित एमनेस्टी योजना का चयन नहीं करते हैं, जिसमें ओवरलोडिंग के अपराध को दिनांक 31.03.2022 तक संयोजन (कंपाउंडिंग) के लिए वैध माना गया है, और यह प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर पूरी की जाएगी।

(ii) याचिकाकर्ताओं के वाहनों/वाहन स्वामियों के वाहन की “ब्लैकलिस्टिंग” को तुरंत समाप्त (डिक्लासिफाई) किया जाएगा।

(iii) सीखी गई अतिरिक्त महाधिवक्ता यह सुनिश्चित करने का दायित्व लेते हैं कि “ब्लैकलिस्टिंग” नामकरण को वाहन पोर्टल पर किसी अन्य उपयुक्त तथा उचित नामकरण में बदल दिया जाए, ताकि चालक/वाहन स्वामी द्वारा की गई अपराध/अपराधों की सही प्रकृति को दर्शाया जा सके।

(iv) ऐसे मामलों में, जहाँ ओवरलोडिंग के आरोप स्वयं स्पष्ट रूप से किसी तकनीकी कमी के कारण गलत प्रतीत होते हैं, तो याचिकाकर्ता/वाहन स्वामियों को अपनी शिकायतों के समाधान हेतु आज से 10 दिन के भीतर

प्रस्तुतिकरण (प्रेजेंटेशन) देने की स्वतंत्रता होगी, और अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) आश्वस्त करते हैं कि उसी को एक सप्ताह के भीतर विचार कर तर्कसंगत आदेश के साथ याचिकाकर्ता/वाहन स्वामियों को सूचित किया जाएगा।

(v) परमिट / फिटनेस प्रमाणपत्र / पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण या पंजीकरण प्रमाणपत्र के स्थानांतरण के मामले में, प्रतिवादी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विधिक उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेंगे, केवल इसलिए कि उनके वाहनों को “ब्लैकलिस्टेड” के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इससे प्रभावित हुए बिना।

अर्थ यह हुआ कि इन याचिकाओं में उठी विवादित बात पहले ही उपरोक्त मामले में निर्णीत हो चुकी है।

7. इस न्यायालय ने देखा कि **जाबिर खान (सुप्रा)** मामले में मुद्दे का निर्णय होने के बाद, हजारों समान प्रकार की रिट याचिकाएँ पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दाखिल की गई हैं, ताकि उन्हें **जाबिर खान (सुप्रा)** मामले में पारित आदेश के प्रकाश में आदेश प्राप्त हो सके।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी इस न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अक्षरशः एवं भावनात्मक रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, और अनावश्यक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को बार-बार इसी प्रकार के आदेश एवं **जाबिर खान (सुप्रा)** मामले में दिए गए निर्देश पाने हेतु पुनः न्यायालय का रुख करने के लिए विवश कर रहे हैं। प्रतिवादियों की ऐसी कार्रवाई ने पीड़ित व्यक्तियों के लिए इसी प्रकार के आदेश पाने की व्यवस्था को व्यापक रूप से खोल दिया है।

9. जब इस न्यायालय द्वारा **जाबिर खान (सुप्रा)** मामले में पारित निर्णय को प्रतिवादियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, और उसके विरुद्ध किसी भी अपीली मंच पर

अपील दाखिल कर चुनौती नहीं दी गई है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी इस न्यायालय द्वारा **जाबिर खान** (सुप्रा) मामले में दिए गए आदेश/निर्देशों का अक्षरशः एवं भावनात्मक रूप से पालन करने के लिए बाध्य हैं।

10. प्रतिवादियों के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि **जाबिर खान** (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्देश केवल उन याचिकाकर्ताओं तक सीमित थे जिन्होंने इस न्यायालय का रुख किया था, और वह निर्णय 'इन रेम' नहीं बल्कि 'इन पर्सोना' में पारित हुआ था, अतः राज्य प्राधिकरणों के लिए समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के मामलों में **जाबिर खान** (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करना संभव नहीं है।

11. इस न्यायालय के विचारार्थ जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि **जाबिर खान** (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा समान रूप से स्थित व्यक्तियों को दिया गया लाभ, वर्तमान याचिकाकर्ताओं को भी दिया जा सकता है क्योंकि वे भी समान परिस्थिति में हैं।

12. अनेक अवसरों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय ने यह माना है कि सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि किसी एक व्यक्ति ने न्यायालय का रुख किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि समान परिस्थिति वाले, परंतु जिन्होंने न्यायालय का रुख नहीं किया, उनके साथ भिन्न व्यवहार किया जाए।

13. सामान्य नियम यह है कि जब किसी समूह को न्यायालय द्वारा राहत दी जाती है, तो उसी प्रकार की स्थिति में पड़े अन्य सभी व्यक्तियों को भी उस लाभ के विस्तार के द्वारा समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा न करना भेदभाव के समान होगा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। अतः, समान रूप से

स्थित व्यक्तियों को उस आधार पर लाभ से वंचित करना, जिस लाभ का विस्तार पहले ही किसी विशेष समूह को दिया जा चुका है, भेदभाव और संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन होगा।

14. अब राज्य प्रतिवादियों के अधिवक्ता की ओर से **जाबिर खान** (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय के “इन रेम” या “इन पर्सोना” लागू होने संबंधी प्रस्तुतियों से निपटने के दृष्टिकोण से, यह न्यायालय आगे इन दोनों शब्दों - “इन पर्सोना” और “इन रेम”- को स्पष्ट करता है।

15. “इन पर्सोनेम” शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध। “इन पर्सोनेम” को “इन रेम” से भिन्न माना जाता है, जहाँ परिसंपत्ति या सम्पूर्ण विश्व पर लागू होता है, न कि किसी विशेष व्यक्ति पर। इन पर्सोनेम में पारित निर्णय केवल उन पक्षकारों को बाध्य करता है जो उसमें शामिल हैं, जबकि जिन निर्णयों का प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में है, उन्हें सामान्यतः “जजमेंट इन रेम” कहा जाता है। “जजमेंट इन रेम” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे हमेशा ऐसी व्यवस्था के रूप में समझा गया है, जो केवल पक्षकारों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के विरुद्ध निष्कर्षित मानी जाती है। ऐसे निर्णय व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को घोषित करते हैं, परिभाषित करते हैं या अन्यथा निर्धारित करते हैं, अर्थात् व्यक्ति या वस्तु का संबंध (ज्यूरल रिलेशनशिप) पूरे संसार से होता है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बूज एलन और हैमिल्टन भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका होम फाइनेंस लिमिटेड एवं अन्य, (2011) 5 एससीसी 532 में निम्नलिखित कहा है:

“37. यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त मामलों का संबंध ‘एक्शन इन रेम’ से है। ‘राइट इन रेम’ वह अधिकार है जो पूरे संसार के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, जबकि ‘राइट इन पर्सोना’ केवल उन व्यक्तियों के विरुद्ध लागू हो सकता है जिनके हित विशिष्ट रूप से सुरक्षित हैं। ‘एक्शन इन पर्सोना’ का संबंध ऐसी कार्रवाई से है जो पक्षकारों के अपने अधिकारों और हितों को निर्धारित करती है; जबकि ‘एक्शन इन रेम’ का संबंध संपत्ति, वस्तु, अधिकार या स्थिति के शीर्षक को निर्धारित करने वाली कार्रवाई से है, जो केवल पक्षकारों के बीच नहीं, बल्कि उस संपत्ति में किसी न किसी समय रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू होती है। इसी प्रकार, ‘जजमेंट इन पर्सोना’ का संबंध एक व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए निर्णय से है, न कि किसी वस्तु, अधिकार या स्थिति के विरुद्ध, जबकि ‘जजमेंट इन रेम’ का संबंध उस निर्णय से है जो संपत्ति की स्थिति या शर्त को निर्धारित करता है, जो सीधे संपत्ति पर लागू होता है।”

17. श्री राम बनाम प्रभु दयाल एवं अन्य, (1972) एआईआर (राज.) 180 में, इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 से 43 का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कहा है:

सामान्यतः कोई निर्णय केवल उन्हीं पक्षकारों को बाध्य करता है, जो उसमें पक्षकार होते हैं। ऐसे निर्णय को “जजमेंट इन पर्सोना” कहा जाता है। जिन निर्णयों का प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में है, उन्हें सामान्यतः “जजमेंट इन रेम” कहा जाता है। “जजमेंट इन रेम” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे हमेशा ऐसी व्यवस्था के रूप में समझा गया है, जो केवल पक्षकारों ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के विरुद्ध निष्कर्षित मानी जाती है। ऐसे निर्णय व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को घोषित करते हैं, परिभाषित करते हैं या अन्यथा निर्धारित करते हैं, अर्थात् व्यक्ति या वस्तु का संबंध (ज्यूरल रिलेशनशिप) पूरे संसार से होता है। “जजमेंट इन रेम” वास्तव में, जैसा कि इसका नाम इंगित

करता है, सक्षम प्राधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा किसी विशेष विषय-सम्बन्धी स्थिति पर निर्णय है। “लीगल कैरेक्टर” जैसा कि धारा 41 में प्रयुक्त है, उसका अर्थ स्थिति के बराबर ही है।

किसी व्यक्ति को दिया गया वैधानिक स्वरूप पूरे संसार को यह घोषित करता है कि किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति क्या है। इस शब्द की व्याख्या संकीर्ण रूप में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह याद रखना चाहिए कि “एक्शन इन रेम” किसी वस्तु के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि ऐसा मामला है जो पूरे संसार के विरुद्ध लागू होता है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव, (2015)1 एससीसी 347 में निम्नलिखित कहा है:

“22.3. हालांकि, यह अपवाद उन मामलों में लागू नहीं हो सकता, जिसमें न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ‘इन रेम’ था, जिसका उद्देश्य सभी समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ देना था, चाहे उन्होंने न्यायालय का रुख किया हो या नहीं। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों के ऊपर यह दायित्व होता है कि वे स्वयं ऐसे सभी समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को इसका लाभ दें। ऐसी परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब निर्णय का विषय-वस्तु नीतिगत मामलों पर आधारित हो, जैसे नियमितीकरण की योजना और इस प्रकार के अन्य मामले। दूसरी ओर, यदि न्यायालय का निर्णय ‘इन पर्सोना’ था, जिसमें यह माना गया कि उक्त निर्णय का लाभ केवल न्यायालय के समक्ष उपस्थित पक्षकारों को मिलेगा, और ऐसी मंशा निर्णय में स्पष्ट रूप से या उसके भाव एवं भाषा से परोक्ष रूप से स्पष्ट हो जाती है, तो जो व्यक्ति अपने लिए उस निर्णय का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि उनकी याचिका में विलंब, शिथिलता या अनुमोदन नहीं है।”

19. न्याय बिकने वाली वस्तु नहीं है। राज्य प्राधिकरणों को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे पीड़ित व्यक्तियों को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने और वही आदेश प्राप्त करने के लिए मजबूर करें। एक बार कोई मुद्दा न्यायालय के द्वारा तय कर दिया गया है, और यदि राज्य प्राधिकरणों ने उसे किसी भी अपीली अदालत में चुनौती नहीं दी है तथा वह अंतिम रूप से स्थापित हो गया है, तो राज्य प्राधिकरण उस फैसले के पालन के लिए बाध्य हैं। राज्य को चाहिए कि वह अनावश्यक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को बार-बार समान आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायालय के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर न करे। ऐसे मामलों में “निर्णय की अंतिमता का सिद्धांत” लागू होता है।

20. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी न्यायालय द्वारा जनता के अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय दिया जाता है, तो उस निर्णय को ‘इन रेम’ निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य सभी समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ देना हो, चाहे उन्होंने न्यायालय का रुख किया हो या नहीं। ऐसे निर्णय की घोषणा के साथ ही, अधिकारियों के ऊपर यह दायित्व आ जाता है कि वे स्वयं ऐसे सभी समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को इसका लाभ दें। इस न्यायालय द्वारा जाबिर खान (सुप्रा) मामले में दिया गया निर्णय अब से ‘इन रेम’ के रूप में माना जाएगा, न कि ‘इन पर्सोना’ के रूप में। प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस न्यायालय द्वारा जाबिर खान (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्देशों का लाभ सभी समान परिस्थिति वाले पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान करें, उन्हें बार-बार न्यायालय का रुख करने के लिए मजबूर किए बिना, ताकि वे इसी प्रकार के आदेश प्राप्त कर सकें।

21. इस उद्देश्य के लिए, प्रतिवादी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक सामान्य परिपत्र/सूचना जारी कर सकते हैं और उसे परिवहन विभाग के सभी कार्यालयों के सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर टांग सकते हैं, जिससे सभी पीड़ित व्यक्तियों को सूचित किया जा सके कि वे अपनी शिकायतों के निवारण हेतु प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष उपयुक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। यदि किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी अपेक्षित हैं कि वे उसे तीन दिवस की अवधि में सुनें और उसका निस्तारण करें।

22. जिला परिवहन कार्यालय, राजस्थान राज्य के सभी जिलों में, निर्देशित किए जाते हैं कि वे पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जाबिर खान (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्देशों के प्रकाश में अभ्यावेदनों का निस्तारण करें।

23. न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा विधि के शासन की जड़ पर प्रहार करती है और न्यायिक आदेशों का हर हालत में पालन किया जाना अनिवार्य है।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रतिवादियों द्वारा इस न्यायालय के आदेश/निर्देशों के पालन में कोई जानबूझकर अवज्ञा की जाती है, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और वह न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी।

25. अतः ये सभी याचिकाएँ, जाबिर खान (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्देशों के आलोक में, अंतिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

26. सभी स्थगन आवेदन और लंबित आवेदन, यदि कोई हों, वे भी निस्तारित समझे जाएंगे।

27. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक संबंधित फाइल में रखी जाए।

(अनूप कुमार ढंड), जे

आशु/290

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate